

अनुमानित साप्ताहिक रोस्टर रबी - 1422 फसली (वर्ष-2014-15)

आगरा नहर पाली

खण्ड का नाम :- अपर खण्ड, आगरा नहर, मथुरा

मण्डल का नाम :- तथतीय मण्डल, सिंचाई कार्य, आगरा

संगठन का नाम :- गंगा संगठन, मेरठ

Main table with columns for crop names, water requirements, and weekly/seasonal schedules. Includes sub-sections for 'सप्ताह प्रारम्भ' and 'रोस्टर खण्ड'.

- 1. नदी/जलाशय से पानी उपलब्ध होने पर नहरों का चलाया जाना प्रस्तावित है।
2. रोस्टर में जो नहरें ली गई हैं वह पिछले दस वर्षों में 75 प्रतिशत जल उपलब्धता के आधार पर हैं...

पंजाब - 950 / अपर / कैम्प / दिनांक - 27-10-2014
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. मां अश्वयुज, जिलापंचायत, मथुरा। 2. मां संसद सदस्य/राज्यसभा सदस्य, मथुरा। 3. मां विधायक मथुरा-वृन्दावन/छाता/गोवर्धन/मां क्षेत्र, मथुरा/मां विधान परिषद सदस्य, मथुरा।

जिला कृषि अधिकारी मथुरा


मुख्य विकास अधिकारी मथुरा

जिलाधिकारी मथुरा

अधिशाषी अभियन्ता अपर खण्ड, आगरा नहर, मथुरा

अधिशाषी अभियन्ता अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा - श्री शिव कुमार सिंघल

क्रमांक	आगरा नहर से निकलने वाले राजवाह एवं अल्पिकायें	अवर अभियन्ता का नाम	मुख्यालय	जिलेदार का नाम	मुख्यालय	उपराजस्व अधिकारी का नाम	मुख्यालय	सहायक अभियन्ता का नाम	मुख्यालय
1.	बुधरारी राजवाह प्रणाली कि०मी० 0.0 से 31.60 तक	श्री डी० बी० शर्मा	कोसी	श्री अवधेश कुमार	मथुरा	श्री जहरुद्दीन	मथुरा	श्री मनमोहन	मथुरा
2.	सहार रा० कि०मी० 0.0 से 25.60 तक सहार रा० कि०मी० 25.60 से 46.40 तक	श्री कमलेंद्र पुण्डीर श्री सत्येन्द्र कुमार	कोसी मथुरा	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
3.	शेरगढ़ रा० कि०मी० 0.0 से 29.00 कि०मी० शेरगढ़ रा० कि०मी० 29.00 से 46.80 तक	श्री अजय सिंह	कोसी मथुरा	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
4.	नन्दगाँव रा० कि०मी० 0.0 से 21.80 तक नन्दगाँव रा० कि०मी० 21.80 से 46.80 तक	श्री सत्येन्द्र सिंह श्री देवेन्द्र सिंह	नन्दगाँव बरसाना	श्री अशोक कुमार शर्मा	मथुरा	तदैव	तदैव	श्री रामगोपाल शर्मा	तदैव
5.	कोसी राजवाह कि०मी० 0.0 से 46.30 तक	श्री संदीप बंसल	कोसी	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
6.	कोन्डू माइनर कि०मी० 0.0 से 5.60 तक	श्री सत्येन्द्र कुमार	मथुरा	श्री अवधेश कुमार	तदैव	तदैव	तदैव	श्री मनमोहन	तदैव
7.	अडौंग रा० कि०मी० 0.0 से 25.60 तक मा० लालपुर, मा० रसूलपुर व मा० सोन हंड से टेल तक	श्री विजय कुमार सिंह	अडौंग	श्री के० के० शर्मा	अडौंग	तदैव	तदैव	श्री सत्यभान सिंह	तदैव
8.	रा० गोवर्धन कि०मी० 0.0 से 17.20 तक, रा० लोहार कि०मी० 0.0 से 9.20 तक मा० अहमल, नैनु पट्टी, रा० माधुरीकुण्ड, मा० सोया, मा० डकपुरा हंड से टेल तक	श्री सूर्य प्रकाश पिप्लल	गोवर्धन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
9.	रा० मथुरा कि०मी० 0.0 से 17.60 तक, मा० माधुरीकुण्ड कि०मी० 0.0 से 6.40 तक मा० ऊंचा कि०मी० 0.0 से 2.20 तक	श्री जगदीश सिंह	मथुरा	श्री रामवीर सिंह	मथुरा	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
10.	रा० फरह कि०मी० 0.0 से 20.20 तक, रा० बरारी कि०मी० 0.0 से 17.70 तक	श्री मुकेश कुमार	फरह	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
11.	मा० परखम कि०मी० 0.0 से 5.60, मा० पींगरी कि०मी० 0.0 से 6.20 मा० कौथम कि०मी० 0.0 से 7.20, मा० धिरावली कि०मी० 0.0 से 3.60 तक	श्री संजय शर्मा	छोटा कोसी	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव



**षकों हेतु सूचनाएँ**  
किसान भाईयों,  
**(अ) क्या आप जानते हैं कि :-**

1. फसल को आंतरिकता से अधिक पानी देने पर कम उपज होती है।
2. कुलों की गूल डीक दशा में न होने पर उसमें पानी देना बन्द किया जा सकता है।
3. यदि किसी खेत का कुछ भाग सूँघा गया हो और बाकी भाग 15 सेमी. ऊँची में ड से अलग न किया गया हो तो पूरे खेत पर सूँघकर लेंगा।
4. **शामिक बरखा** - किसी नहर का पानी किसी खेत में गया हो और उसकी गूल में किसी साकन से पानी लेकर सूँघ कर ही तो नहर सिंचाई का सूँघकर लेंगा। यदि सूर्य फसल नहर का पानी न लेता हो तो अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग को फसल आरम्भ होने से पूर्व ही लिखित रूप में दें। इस अवस्था में शामिल बरखा नहीं होगा, परन्तु इसके बाद नहर से पानी लिया हो तो सिंचाई कर का चार गुना दण्ड सिंचाई कर अतिरिक्त लेंगा।
5. **ताबान** - यदि किसी खेत का सिंचाई अवैधानिक ढंग से को गई हो तो सूँघकर के अतिरिक्त चार गुना दण्ड कर लगाया जाएगा।
6. **आवजाया** - यदि नहर का पानी कितने बोये खेत में फैलता है तथा गहराई 15 सेमी. से अधिक हो तो दुरुग यदि 30 सेमी. से अधिक हो तो तीन गुना सूँघकर जो उस फसल के लिए सबसे अधिक दर का होगा लेंगा।
7. **सिंचाई कर में छूट** - शैलीय आपदा जैसे - ओला, पाला, टिड्डा, मूँहू, आदि से फसल नष्ट हो जाये तो 50 प्रतिशत से कम पर छूट नहीं, 50 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत से अधिक और 75 प्रतिशत से कम पर 25 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत से अधिक पर पूर्ण छूट सूँघकर में देय है।
8. **मालत ड्रिपिंग** - अतिरिक्त खेत यदि सिंचित किया हो तो पूर्ण वितरण के 21 दिन के अन्दर यदि डाल पानी की गैहू तथा मालत निस्य अंकित हो तो 30 दिन के अन्दर प्रार्थना- पत्र अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/उपराजस्व अधिकारी/जिलेदार में से किसी को देना चाहिये। अन्यथा अमान्य होगा। ध्यान रहे कि प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के 15 दिन के अन्दर फसल न काटे।

**(ब) नहर से सम्बन्धित समस्या हेतु निम्न से सम्पर्क करें :-**

**अधीक्षण अभियन्ता :-** नये कुलों को मांग, कमान्ड विभाजन, दहन तथा स्थान परिवर्तन, नई नहरों तथा नालों का निर्माण एवं ताबान के विरूद्ध अपील।

**अधीशासी अभियन्ता :-** नहरों का संचालन, नहरों सम्पत्ति को नीलामी एवं भूमि का प्रतिकर एवं खोटी से ठोस, नालों को सफाई तथा नहरों पट्टियों पर बाहान चलाने की अनुमति/ आवजाया एवं ताबान।

**सहायक अभियन्ता :-** कुलों के स्थान एवं दहन को ठुट्ट, पानी को माँग, नहरों को टेलों पर पानी की कमी एवं नहर तथा नालों को सफाई।

**उपराजस्व अधिकारी :-** गलत ड्रिपिंग/फसल सोख/विद्युत् गूल।

**अवर अभियन्ता :-** टेलों पर पानी की कमी, खोटी कंटिंग, नहर एवं नालों को सफाई तथा कुलों को सही ढंग से लगाना।

**(स) क्या करें :-**

1. सिंचाई से पूर्व गूलों की सफाई करें।
2. पानी उचित गहराई में ही लगायें।
3. पानी लगाने के बाद कुलावा बन्द कर दें।
4. पानी न मिलने पर अथवा नहरों में कंटिंग, खादी होने पर अवर अभियन्ता, सूँघपाल अथवा जिलेदार को सूँघिक करें।

**(द) नहर काटें, बन्धा न लगायें, कुलों को स्थान में परिवर्तित न करें। नहर को सड़क पर बैलाड़ी, ड्रिपर अथवा ट्रक किना पूर्व अनुमति के न चलायें।**

**(ध) सम्स्याओं को निवारण हेतु -** प्रत्येक कार्य दिवस में मुख्यालय पर अधीक्षण अभि/अधि/अधि/सहा/अधि/से/माह के द्वितीय बुधवार को सिंचाई बांधू की बैठक में अधि/अधि एवं सहा/अधि/से/प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को लक्ष्मील दिवस में, अधि/अधि/सहा/अधि एवं जिलेदार से सम्पर्क कर सकते हैं।